UPMT010016132026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 03, मथुरा

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –761/2026

विपिन सिंह यादव उर्फ विपिन यादव बनाम उ.प्र. राज्य

आदेश

1. मुकदमा अपराध संख्या– 174/2017 धारा–420, 409, 406, 467, 468, 471 भा०दं०सं०, थाना– फरह, जिला– मथुरा के अभियुक्त **विपिन सिंह यादव उर्फ विपिन यादव** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार सक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि रामअवतार पुत्र मोतीराम शुक्ला द्वारा एक लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि वादी ने कल्पतरू पॉलिसी के तहत कल्पतरू इण्डिया लिमिटेड, औरंगाबाद, आगरा रोड़ मथुरा की सदस्यता ग्रहण की है। वादी की पॉलिसी की समय-सीमा पूरी हो चुकी है, परन्तु बार- बार निवेदन व सम्पर्क करने के बाद भी वादी को अभी तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। वादी की पॉलिसियों की डिटेल इस प्रकार हैं:- SNKV 0525036 परिपक्वता अवधि 09.05.2016, श्रीमती राजेश्वरी शुक्ला पत्नी श्री राम अवतार शुका SNKV 0525025 परिपक्वता अवधि 09.05.2016, रामअवतार शुक्ला SNKV 0525320 परिपक्वता अवधि 21.01.2016, मोहित शुक्ला, SNKR 3790641 परिपक्वता अवधि 20:07 2015 श्रीमती राजेश्वरी शुक्ला पत्नी रामअवतार शुक्ला । वादी के द्वारा कम्पनी में पॉलिसी के दस्तावेज समय-सीमा में पूर्व में जमा कराये जा चुके हैं। पॉलिसी के भुगतान के बाबत कम्पनी के स्थानीय एजेन्ट विजय कुमार कुशवाह भूमिगत हो गया है। भुगतान की बाबत वादी ने कम्पनी की ग्वालियर ब्रान्च में भी सम्पर्क किया तथा भान्ती जाकर मैनेजर लोकेश शर्मा से भी सम्पर्क किया है, किन्तु परिणाम शून्य ही रहा है। उपरोक्तानुसार कम्पनी व उसके कारिन्दा द्वारा किये गये छल कपटपूर्वक से वादी का परिवार भारी मानसिक तनाव में है तथा कम्पनियों के अधिकारियों से सम्पर्क करने में वादी काफी धन खर्च कर चुका है। अब वादी भागते-भागते थक चुका है। वादी को पता चला है कि कल्पतरू कम्पनी के CMD जयकिशन राणा का निवास चन्दन वन मथुरा में है। इनके कम्पनी का मुख्य कार्यालय, चुरमुरा थाना फरह में है, जो बन्द है। कम्पनी के कामकाज के लिये मध्य प्रदेश निवासी किसी विजय यादव को नियुक्त किया गया है इनके मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले से पूर्व में वारण्ट जारी हो चुका है। यह शख्स जय किशन राणा के इशारे पर कुण्ज आवास विकास सेक्टर 2 बोदला, सिकन्दरा आगरा से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादी द्वारा जय किशन राणा तथा विपिन यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने की प्रार्थना की गयी। उक्त के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 174/2017 अन्तर्गत धारा 419,420,467,468,471,1208 भा०द०सं० विरुद्ध अभियुक्तगण जय सिंह राणा व विपिन यादव पंजीकृत किया गया
3. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई धोखाधड़ी/ठगी नहीं की गयी है, अभियुक्त निर्दोष है तथा मात्र तंग व परेशान करने के उद्देश्य से उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उक्त घटना में अभियुक्त नामजद अभियुक्त नहीं है तथा रिपोर्टकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लेन–देन स्पष्ट नहीं दिखाया गया है, जो विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्त ने मुकदमा वादी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है और न ही वह मुकदमा वादी को जानता है। रिपोर्टकर्ता द्वारा मुकदमा झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर लिखाया गया है; अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है और वह निर्दोष है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420, 409, 406, 467, 468, 471 आई.पी.सी. का अपराध नहीं बनता है तथा उसका उक्त मामले से कोई संबंध या सरोकार नहीं है। अभियुक्त साधारण व संभ्रांत परिवार से है, परिवार के पालन–पोषण की पूर्ण

जिम्मेदारी उसी पर है तथा समाज में उसकी अच्छी छवि है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। यह उसकी प्रथम जमानत प्रार्थना है; अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। अभियुक्त दिनांक 05/05/2022 से जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध है। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर धोखाधड़ी व दस्तावेजों की कूट रचना कर कथित घटना को अंजाम दिये जाने का अभियोग है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामित है। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए विवेचक द्वारा आरोप–पत्र सम्बंधित न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अभिलेखों से यह भी परिलक्षित होता है कि समान प्रकृति के कई व्यक्तियों से धनराशि प्राप्त की गयी है। थाने से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त 46 अन्य समान प्रकृति के आपराधिक मामलों का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। सह–अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है।

7. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।
8. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 17.03.2026

(अरविन्द कुमार यादव–II)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा
ID– UP 6351